न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 15 / 2021

1 गुलझारी पुत्र श्योराम जाति नायक निवासी बजावा तन चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मनीष पुत्र दरिया सिंह जाति जाट।
2 जितेन्द्र पुत्र दरिया सिंह जाति जाट।
3 सुनिता पत्नी दरिया सिंह जाति जाट।
4 दरिया सिंह पुत्र श्योराम जाति नायक।
5 सुन्दर पुत्री श्योराम जाति नायक।
6 बाली पुत्री श्योराम जाति नायक समस्त जाति बजावा तन चिड़ावा जिला झुंझुनू।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।
8 महेन्द्र सिंह पुत्र नत्थू सिंह जाति जाट निवासी बजावा हाल आबाद मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय बउनवानी प्रकरण मनीष वगैरह बनाम गुलझारी वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुंझुनू दिनांकित 10.02.2021 मुकदमा नम्बर 187 / 2020।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश कुमार सूण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 02.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 187/2020 में पारित निर्णय दिनांक 10.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने श्रीमान अदालत मातहत उपखण्ड महोदय चिडावा के समक्ष ख. न. 488 मे आने जाने के लिए अपीलान्ट की भूमि ख.न. 487 मे से रास्ता दिलवाई जाने हेतू प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया, अदालत मातहत ने दिनांक 02.02.2021 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4 ल. 6 की तामील मानते हुए उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 10.02.2021 को विवादित निर्णय पारित कर अपीलान्ट की भूमि मे से रास्ता दिलवाये जाने का आदेश दिया उक्त विवादित निर्णय से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उक्तद प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलाण्ट को नहीं सुना है, व ना ही जवाब व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया है दिनांक 02.02.2021 को अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4 ल. 6 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करने का आदेश दिया व दिनांक 10.02.2021 को विवादित निर्णय पारित कर दिया है। अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर विवादित आदेश पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

किया है कानूनी प्रावधान के अनुसार अ. धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता केवल कटानी रास्ते से ही कायम किया जा सकता है, जबकि मौजूदा प्रकरण में अपीलाण्ट के ख.न. 487 मे से या उससे सीमा लगता कोई कटानी रास्ता नही है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे रास्ते के बदले भूमि अपीलाण्ट को दिलवाये जाने का कोई आदेश नहीं दिया है जबकि अपीलाण्ट की भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 की सीमा लगती है। कानूनी व्यवस्था यह है कि जहां तक संभव हो खातेदार को रास्ते मे आने वाली भूमि के बदले प्राथमिक रूप से भूमि दी जायेगी, खातेदार द्वारा भूमि नही देने की स्थिति मे या भूमि नहीं दिलवाई जाने की सम्भावना की स्थिति में डी. एल.सी रेट की दुगुनी राशि दिलवाई जाने का प्रावधान है परन्तु अदालत मातहत ने अपने आदेश मे भूमि दिलवाई जाने का आदेश नहीं दिया है। प्रकरण में प्रार्थी/अपीलाण्ट को नही सुना गया है। ना ही सभी खातेदारों को सुना गया है ख.न. 488 के निकटतम दुरी ख. न. 486 की भूमि लगती है तथा ख.न. 488 अविभाजित है तथा इसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 ल. 3 के अलावा भी अन्य खातेदार हैं जिनको आवेदन पत्र मे पक्षकार व आवेदक या अनावेदक नहीं बनाया गया है सभी खातेदारानो को बिना सुने अदालत मातहत के निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है अपीलाण्ट के पिता के ख.न. 487 के अलावा दो जगह भूमि ओर है, जिसमें अपीलाण्ट व उसके भाई बहनो ने आपस मे मौखिक बंटवारा कर रखा। ख.न. 487 अपीलाण्ट के हिस्से मे आई है, अपीलाण्ट के भाई व बहने रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 से मिले हुये है तथा जान बूझकर अदालत मातहत के समक्ष आवेदन पत्र मे हाजीर नही हुए है। रेस्पोडेन्टगण अपीलाण्ट से रंजिस रखते है, इस लिए अपीलाण्ट को हैरान व परेशान करने के लिए ही बस अपीलाण्ट के खेत से रास्ता मांगा है जबकि ख. न. 486 रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 के की परिवार के सदस्यों के खेत है अपीलाण्ट के खेत से भी नजदीक दुरी पर है परन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 ने उनको जान बुझकर पक्षकार नही बनाया है। ऐसी स्थिति में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय में पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का प्रमुख तर्क है कि अपीलांट को विचारण न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया, जवाब व साक्ष्य प्रदान का अवसर प्रदान नहीं किया अपीलांट का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि विचारण न्यायालय में अपीलांट गुलझारी पुत्र श्योराम अप्रार्थी संख्या 1 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.12.2020 पर अपीलांट गुलझारी के हस्ताक्षर है। इसके उपरांत दिनांक 02.02.2021 को अपीलांट के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है एवं तत्पश्चात विधिक प्रकिया अनुसार विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में उपस्थित होने के उपरांत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इसका लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जहां तक कटानी रास्ते का प्रश्न है इस संदर्भ में तहसीलदार चिड़ावा की रिपोर्ट एवं सलंग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से जाहीर है कि खसरा नम्बर 487 के पूर्व में डोटेड लाइन से कटानी रास्ता दर्ज है एवं खसरा नम्बर 488 में आवागमन हेतु दिया गया रास्ता ही निकटतम है इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में रास्ते में जाने वाली भूमि के डी एल सी रेट का दो गुना भुगतान किये जाने की विधिक व्यवस्था है, भूमि के बदले भूमि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर निकटतम दूरी का रास्ता दिये जाने के आदेश दिये है। इनमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का प्रमुख तर्क है कि अपीलांट को विचारण न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जवाब व साक्ष्य प्रदान का अवसर प्रदान नहीं किया अपीलांट का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि विचारण न्यायालय में अपीलांट गुलझारी पुत्र श्योराम अप्रार्थी संख्या 1 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.12.2020 पर अपीलांट गुलझारी के हस्ताक्षर है। इसके उपरांत दिनांक 02.02.2021 को अपीलांट के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है एवं तत्पश्चात विधिक प्रकिया अनुसार विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में उपस्थित होने के उपरांत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इसका लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जहां तक कटानी रास्ते का प्रश्न है इस संदर्भ में तहसीलदार चिड़ावा की रिपोर्ट एवं सलंग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से जाहीर है कि खसरा नम्बर 487 के पूर्व में डोटेड लाइन से कटानी रास्ता दर्ज है एवं खसरा नम्बर 488 में आवागमन हेतु दिया गया रास्ता ही निकटतम है इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में रास्ते में जाने वाली भूमि के डी एल सी रेट का दो गुना भुगतान किये जाने की विधिक व्यवस्था है, भूमि के बदले भूमि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर निकटतम दूरी का रास्ता दिये जाने के आदेश दिये है। इनमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर